

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

राज्य योजना-केन्द्रांश

संचिका संख्या- ICDS/20020/05-2016/ 592 / (आवंटनादेश संख्या 88 / 2016-17)

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, मा.प्र.से.
निदेशक, आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 20/02/2017

विषय :-


वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना-केन्द्रांश मद (विपत्र कोड P2235021020222) से विभिन्न कोटि के आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) के निमित्त ₹3,99,74,316/- (₹ तीन करोड़ निनान्वे लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सोलह) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,


समाज कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-16/2016-17 का पत्रांक 3438 दिनांक 20.12.2016 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना-केन्द्रांश मद में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के प्रशिक्षण अवयव के तहत विभिन्न कोटि के आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) के निमित्त संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹3,99,74,316/- (₹ तीन करोड़ निनान्वे लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सोलह) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
3. कुल भारत व्यय की राशि ₹3,99,74,316/- (₹ तीन करोड़ निनान्वे लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सोलह) मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना-केन्द्रांश के अन्तर्गत मॉग संख्या-51 के अधीन मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0222-एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.), के विपत्र कोड-P2235021020222, PFMS Code-9197 के प्रशिक्षण व्यय (20 03) के अन्तर्गत विकलनीय है।
4. प्रशिक्षण (For Training of District Level Master Trainers and Training for Anganwadi Workers (Phase-1) for Early Childhood Care Education (ECCE) Training) मद में होने वाले व्यय प्रशिक्षण शाखा के Budgetary Provision for Training on ECCE (प्रति संलग्न) के निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कर व्यय करने की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. प्रशिक्षण मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात राज्य योजना-केन्द्रांश:राज्यांश (60:40) में व्यय किया जायेगा।
6. बिहार वित्तीय नियमावली में निहित सुसंगत वित्तीय प्रावधानों तथा स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित निदेशों/शर्तों, सुसंगत विभागीय एवं वित्तीय प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए आवंटित राशि का नियमानुकूल निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 41 वि (2) दिनांक 03.01.2002, पत्रांक 423/वि० दिनांक 31.03.2016, पत्रांक 2793/वि० दिनांक 04.04.2016, पत्रांक 4572/वि० दिनांक 03.06.2016 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
8. चूंकि यह चालू योजना है, अतः इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गयी है।


विश्वासभाजन


(रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर)
निदेशक, आई.सी.डी.एस.

ज्ञापक- ICDS/20020/05-2016/ 592 /दिनांक - 20/02/2017
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग, (बजट शाखा)/प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, आई.सी.डी.एस.

ज्ञापक- ICDS/20020/05-2016/ 592 /दिनांक - 20/02/2017
प्रतिलिपि - सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, आई.सी.डी.एस.